अध्याय 8

प्रकीर्ण

1873 के अधिनियम 5 का संशोधन ।

113. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 3 में, "जमाकर्ता" की परिभाषा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु उस तारीख को और उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, इस खंड के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो "किसी व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "कोई व्यष्टि" शब्द रखा गया था ।'।

1899 के अधिनियम 2 में नई धारा 8ख का अंतःस्थापन ।

114. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कोई निगमीकरण और गैर पारस्परीकरण स्कीमें और संबंधित लिखतों का शुल्क के लिए दायी न होना ।

'8ख. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, —

(क) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या गैर पारस्परीकरण या दोनों की कोई स्कीम ;

(ख) किसी स्कीम के अनुसरण में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या गैर पारस्परीकरण या दोनों के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई लिखत, जिसके अंतर्गत किसी संपत्ति के अंतरण, कारबार, आस्ति चाहे जंगम हो या स्थावर, संविदा, अधिकार, दायित्व और बाध्यता का या उसके संबंध में कोई लिखत भी है,

जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4ख की उपधारा (2) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और संविदा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होगी । 1956 का 42

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निगमीकरण", "गैर-पारस्परीकरण" और "स्कीम" पदों के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक), खंड (कख) और खंड (छक) में हैं ; 1956 का 42

(ख) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है ।' । 1992 का 15

1950 के अधिनियम 49 की धारा 2 का संशोधन ।

115. भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 2 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उपधारा (1) के इस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उस राशि में, जो उपधारा (1) के अधीन भारत की संचित निधि में से भारत की आकस्मिकता निधि में संदत्त की जाएगी, पांच अरब रुपए तक की वृद्धि हो जाएगी।"।

1957 के अधिनियम 58 की पहली अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

116. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के स्थान पर दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

1959 के अधिनियम 46 का संशोधन ।

117. सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "धारक" से बचत पत्र के संबंध में अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बचत पत्र किसी समय उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2005 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, धारण करता है ; और

(ii) कोई व्यष्टि, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार जारी किया गया बचत पत्र किसी समय उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2005 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, धारण करता है ;

(कक) "अवयस्क" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में यह नहीं समझा गया है कि उसने वयस्कता अधिनियम, 1875 के अधीन अपनी वयस्कता प्राप्त कर ली है ;' । 1875 का 9

1978 के अधिनियम 40 की अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

118. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की अनुसूची के स्थान पर ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

1998 के अधिनियम 21 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

119. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची में, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दो रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

1999 के अधिनियम 27 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

120. वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची में, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दो रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2000 के अधिनियम 54 की धारा 10 का संशोधन ।

121. केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के खंड (viii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की, यथास्थिति, धारा 103 की उपधारा (1) और धारा 111 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत पैट्रोल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 1999 की, यथास्थिति, धारा 116 की उपधारा (1) और धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दर के समतुल्य रकम को, जैसी वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 119 और धारा 120 द्वारा अनन्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण के लिए बढ़ाई गई हो, आबंटित करेगी।"। 1998 का 21 1999 का 27

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

122. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

2003 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

123. वित्त अधिनियम, 2003 में,—

(क) धारा 128 का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 134 में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 157 का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 169 में, "और इस प्रकार किए गए संशोधन" शब्दों से आरंभ होने वाले, और "किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का 31 मार्च, 2005 से लोप किया जाएगा ;

(ङ) चौथी अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

124. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की,— 2004 के अधिनियम 23 का संशोधन ।

(क) धारा 88 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के ऐसे केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (जिसे इस उपधारा में अतिरिक्त शुल्क का सेनवेट प्रत्यय कहा गया है) की जिसका उपभोग किया गया है, किन्तु जिसका उपभोग तब न किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा होता, वसूली के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :— 1957 का 58

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, 25 मई, 2005 को या उससे पूर्व ऐसे व्यक्ति पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है) जिससे वसूली की जानी है, ऐसी सूचना की तामील करेगा जिसमें निर्धारिती से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेनवेट शुल्क कहा गया है), के संदाय के लिए जो उसके द्वारा विभिन्न तारीखों को अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय की रकम के रूप मे उपयोग की गई है, की घोषणा करे ; 1986 का 5

(ii) निर्धारिती खंड (i) में यथा अपेक्षित घोषणा 31 मई, 2005 को या उससे पूर्व करेगा ;

(iii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, निर्धारिती द्वारा खंड (ii) के अधीन की गई घोषणा पर विचार करने के पश्चात् सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए विभिन्न तारीखों को उपयोग की गई अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय की रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यय की रकम कहा गया है) अवधारित करेगा ;

(iv) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, खंड (v) के उपबंधों के अनुसार सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय पर ब्याज की रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात् ब्याज की रकम कहा गया है) का पृथक् रूप से अवधारण करेगा ;

(v) सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए उपयोग की गई प्रत्यय की रकम पर ब्याज की रकम उस दिन से ही आरंभ होकर जब प्रत्येक बार प्रत्यय की रकम का उपयोग किया गया था, और 10 सितंबर, 2004 की समाप्ति पर 13% प्रति वर्ष की दर पर होगी;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, 15 जून, 2005 को या उससे पूर्व निर्धारिती को लिखित में खंड (iii) और खंड (iv) के अधीन इस प्रकार अवधारित ब्याज की रकम की सूचना देगा ;

(vii) निर्धारिती खंड (iii) और खंड (iv) के अधीन अवधारित प्रत्येक रकम के एक सौ छत्तीसवें भाग के बराबर रकम का संदाय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा रकम के अवधारण की सूचना की प्राप्ति के आगामी मास से आरंभ होने वाले प्रत्येक मास की पांच तारीख तक करेगा ;

(viii) निर्धारिती स्वप्रेरणा से किसी विशिष्ट मास तक संदत्त की जाने वाली रकम से अधिक का, यथास्थिति, प्रत्यय की रकम या ब्याज की रकम के मद्दे संदाय कर सकेगा ;

(ix) जहां निर्धारिती क्रमशः खंड (iii) और खंड (iv) के अधीन यथा अवधारित प्रत्यय की कुल रकम और ब्याज की रकम का संदाय करता है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी प्रत्यय और ब्याज की रकम के संदाय की पुष्टि करते हुए और निर्धारिती को अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय की किसी वसूली से उन्मोचित करते हुए, कोई आदेश जारी करेगा ;

(x) इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय का, सेनवेट शुल्क के संदाय मद्दे पहले ही उस अतिरिक्त शुल्क का जिसका 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए संदत्त किया जा चुका है, सेनवेट प्रत्यय का इस प्रकार उपयोग किए जाने के पूर्व, पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

(6) जहां निर्धारिती खंड (i) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उसकी घोषणा प्रस्तुत कर दी है किन्तु उपधारा (5) के खंड (vii) में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक रकम का संदाय करने में असफल रहा है, वहां उपधारा (4) के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे कि निर्धारिती से यह अपेक्षा करते हुए उस पर एक सूचना की, कि वह यह कारण बताए कि उसको सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए, उसके असफल रहने की तारीख से तीन मास के भीतर तामील की जाएगी ।" ;

(ख) धारा 94 में, उपधारा (1) के खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क ;"; 1975 का 51

(ग) धारा 98 की सारणी में, 1 जून, 2005 से,—

(i) क्रम सं0 1 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.075 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.1 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम सं0 2 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.075 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.1 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) क्रम सं0 3 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.015 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.02 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) क्रम सं0 4 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.01 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.0133 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) क्रम सं0 5 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.15 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.2 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 72, खंड 74, खंड 85, खंड 86, खंड 119, खंड 120 और खंड 123(घ) के उपबंध, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे । 1931 का 16